जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी– 1404 दिनांकः– 9-12-2014

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **112वीं बैठक दिनांकः 02.12.14 को अपराह्न 12.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक मे उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		112:1	भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति की 111वी बैठक दिनाक 15.09.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 103वीं से 111वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा व 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 में लिये गये निर्णय में संशोधन बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 111वीं बैठक दिनांक 15.09.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 103 से 111 की पालना की समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों में पालना अवशेष है, उनके संबंध में आयुक्त महोदय ने सचिव, जविप्रा की अध्यक्षता में दिनांक 05.12.14 को बैठक आयोजित कर पालना प्राप्त करने के निर्देश दिये। दिनांक 20.12.14 को पत्रावली पर अवशेष पालना रिपोर्ट की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये। एलपीसी की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 की कार्यवाही विवरण के पृष्ठ संख्या 4 पर अनुमोदित एवं स्वीकृत आवासीय योजनाओं में आवंटित क्षेत्रफल में बढोतरी हो जाने से संबंधित निर्णय में पंक्ति संख्या 3 में **"जो भी अधिक हो"** के स्थान पर **"जो भी कम हो"** संशोधित करने का निर्णय लिया गया। अतः तदनुसार भविष्य में कार्यवाही की जावे।
2.	13ए	112:2	राजस्व ग्राम चौंप मे राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि० को आवंटित की गई भूमि को कम्पनी के नाम से राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि० के नाम परिवर्तन बाबत।	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.08.14 द्वारा ग्राम चौंप तहसील आमेर की 20 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम चौंप की वर्तमान आवासीय दर की 50 प्रतिशत दर पर पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लि० को आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुख्य अभियंता (एन पी सी एण्ड आर) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० के पत्र दिनांक 15.09.14 में भारत सरकार के नये दिशा निर्देशों के अनुसार पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लि० को किया गया आवंटन निरस्त कर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० के नाम करने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लि० के स्थान पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० के नाम आवंटन करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
3.	6	112:3	नवसृजित राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मुरलीपुरा (जयपुर शहर) हेतु भूमि आवंटित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मुरलीपुरा (जयपुर शहर) को प्रताप नगर विस्तार योजना के सुविधा क्षेत्र में उपलब्ध 896.07 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	7	112:4	श्रीमति कमला शर्मा पत्नी कर्नल एस.पी. शर्मा द्वारा नित्यानन्द नगर–ए, भूखण्ड संख्या 19 के साथ लगती हुई त्रिकोणी भूमि क्षेत्रफल 114.87 वर्गगज भू–पट्टी का आवंटन करने बाबत।	श्रीमति कमला शर्मा पत्नी कर्नल एस.पी. शर्मा द्वारा नित्यानन्द नगर–ए, भूखण्ड संख्या 19 के साथ लगती हुई त्रिकोणी भूमि क्षेत्रफल 114.87 वर्गगज आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत अधिकतम 100 वर्गगज तक बढे हुये क्षेत्रफल

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				का नियमन/आवंटन आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर करने का प्रावधान है। चूंकि प्रकरण में बढा हुआ क्षेत्रफल 114.87 वर्गगज है। अतः प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।
5.	8	112:5	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी हेतु सचिवालय विहार, दादूदयाल नगर, विधानसभा नगर में भूमि आवंटन करने बाबत।	बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय विहार, कल्याणपुरा के सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर 4500/-रूपये प्रति वर्गमीटर एवं निजी खातेदारी की आवासीय योजना दादूदयाल नगर ई-ब्लॉक में से 542.63 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर 12000/- रूपये प्रति वर्गमीटर पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	8	112:6	ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु नगर निगम, जयपुर को भूमि आवंटन करने बाबत।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर द्वारा विद्याधर नगर, शिप्रापथ मानसरोवर एवं बम्बाला पुलिया में लगभग 10-10 बीघा भूमि ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु आवंटन चाही है। उपायुक्त जोन-8 द्वारा ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1118, 1119 में से 10 बीघा भूमि उपलब्ध होना बताकर कचरा ट्रांजिक्ट पोइन्ट हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि को कचरा ट्रांजिक्ट पोइन्ट आवंटन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.09.14 से सहमति व्यक्त की गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि कचरा ट्रांजिक्ट पोइन्ट हेतु आरक्षित करने व नगर निगम को इसको केवल कचरा ट्रांजिक्ट पोइन्ट के उपयोग में लिये जाने हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
7.	8	112:7	मुहाना मण्डी की भूमि में से सैक्टर रोड निर्माण हेतु आवश्यक भूमि लेने बाबत।	दिनांक 19.04.14 को आयुक्त महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक व निदेशक, कृषि उपज मण्डी समिति के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार "कृषि उपज मण्डी समिति मुहाना मण्डी के खसरा नं. 403 रकबा 1.30 है0 में से 655 व0मी0, 405 रकबा 0.08 है0 में से 800 व0मी0 एवं खसरा नं. 406 रकबा 1.38 में से 6052 व0मी0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.76 है0 में से 7507 वर्गमीटर (0.75 है0) भूमि सेक्टर रोड के निर्माण हेतु छोडेगा व इसके बदले जविप्रा 0.75 है0 भूमि कृषि उपज मण्डी समिति को निःशुल्क आवंटन करेगी तथा उक्त 0.75 है0 भूमि जविप्रा के पत्र दिनांक 20.04.1999 के क्रम में पूर्व आवंटन में समायोजित की जावेगी तथा पूर्व में आवंटित 3.08 है0 भूमि में से 0.75 है0 भूमि छोडकर 2.33 हैक्टेयर भूमि का संशोधित मानचित्र जारी किया जावेगा।" समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि खसरा नं. 403 रकबा 1.30 है0 में से 655 व0मी0, 405 रकबा 0.08 है0 में से 800 व0मी0 एवं खसरा नं. 406 रकबा 1.38 में से 6052 व0मी0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.76 है0 में से 7507 वर्गमीटर (0.75 है0) भूमि सैक्टर रोड के लिये छोडते हुये कृषि उपज मण्डी समिति मुहाना को पूर्व में आवंटित 3.08 हैक्टेयर के स्थान पर 2.33 हैक्टेयर भूमि का संशोधित लीजडीड/मानचित्र जारी किया जावे।
8.	9	112:8	जविप्रा की आवासीय योजना	उपायुक्त जोन-9 द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			निलय कुंज ग्राम सिरोली–दांतली में 33/11 केवी जी.एस.एस. हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	लि0 को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज ग्राम सिरोली–दांतली में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र की 3715.70 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए 500 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	10	112:9	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 132/33 केवी व 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को जविप्रा की योजना पालडी मीणा के सी–ब्लॉक में पानी की टंकी के पास 400 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु व पालडी मीणा योजना में बाम्बे आवास के आवास संख्या जी–1251 के पास 1200 वर्गमीटर भूमि 132/33 केवी सब स्टेशन के लिए योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	11	112:10	श्री सिप्पी महेन्द्रा पुत्र श्री राम प्रताप महेन्द्रा को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–100 के विनिमय में भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत।	श्री सिप्पी महेन्द्रा पुत्र श्री राम प्रताप महेन्द्रा को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए–100 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर 40 फीट रोड पर जरिये लॉटरी आवंटित किया गया था। किन्तु खसरा सीमा में परिवर्तन होने के कारण पी.डब्ल्यू.सी की बैठक में उक्त भूखण्ड को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। अब उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान रिक्त भूखण्ड संख्या ए–103 व ए–119 (क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर 12 मीटर चौडी रोड) में से एक भूखण्ड विनिमय हेतु एजेंण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–100 के स्थान पर ए–103 व ए–119 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा जोन स्तर पर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
11.	12	112:11	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 327 मिन में से 6.07 है0 एवं खसरा नं. 769 में से 6.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.20 है0 किस्म चरागाह भूमि आवंटन करने के क्रम में।	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 327 मिन में से 6.07 है0 एवं खसरा नं. 769 में से 6.13 है0 कुल किता 2 रकबा 12.20 है0 किस्म चरागाह भूमि आवंटन करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में विश्वविद्यालय हेतु ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 350 रकबा 2.65 है0, ख.नं. 330 में से रकबा 4.70 है0, ख.नं. 327 में से 4.00 है0 व ख. नं. 370 में से 0.65 ह0 कुल 12 है0 चरागाह भूमि को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र दिनांक 01.10.13 से प्राप्त हुई है। उपायुक्त ने योजना को रि–प्लान किया जाकर अन्य सृजित भूखण्ड व योजना प्रभावित न होने के कारण खसरा नं. 327 व 769 में से 12.20 है0 भूमि प्रस्तावित की है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त पूर्व स्वीकृति का उल्लेख करते हुये प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय भी लिया गया।
12.	12	112:12	पौधशाला हेतु वन विभाग को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			भूमि आवंटन करने के संबंध में।	
13.	12	112:13	राजस्व ग्राम बडीकाखेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 117 रकबा 0.97 है0 में से 2880 वर्गमीटर भूमि उप तहसील बगरू के भवन निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार उपतहसील बगरू के भवन निर्माण हेतु राजस्व ग्राम बडीकाखेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 117 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	12	112:14	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राजकीय छात्रावास, बगरू के लिये भवन निर्माण हेतु ग्राम बडी का खेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 74 रकबा 9.89 है0 किस्म चरागाह में से 2 बीघा भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार राजकीय छात्रावास, बगरू के भवन निर्माण हेतु ग्राम बडीकाखेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 74 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	12बी	112:15	जयपुर विकास प्राधिकरण की रजत विहार योजना, सीकर रोड में स्थित भूखण्ड सं. सी–99 से सी–115 व भूखण्ड सं. सी–116 से सी–125 क्रमशः बढा हुआ क्षेत्रफल 34.00 वर्गमीटर व 28.00 वर्गमीटर प्रति भूखण्ड के 27 भूखण्डधारियों को पट्टे जारी करने हेतु आवंटन की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की रजत विहार योजना, सीकर रोड में स्थित भूखण्ड सं. सी–99 से सी–115 व भूखण्ड सं. सी–116 से सी–125 क्रमशः प्रत्येक में बढा हुआ क्षेत्रफल 34.00 वर्गमीटर व 28.00 वर्गमीटर 27 भूखण्डधारियों को बढे हुये क्षेत्रफल को योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
16.	13	112:16	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम सिन्दोली, तहसील बस्सी के खसरा नं. 408/110 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा किस्म बंजड में से 07 बिस्वा भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम सिन्दोली, तहसील बस्सी के खसरा नं. 408/110 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा किस्म बंजड में से 07 बिस्वा भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
17.	13	112:17	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 61 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा किस्म चरागाह में से 07 बिस्वा भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 61 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा किस्म चरागाह में से 07 बिस्वा भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
18.	13ए	112:18	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 17 शिक्षकों को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निम्नांकित 17 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त नॉन कार्नर भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा निम्न आवेदकों में से प्रत्येक को एक भूखण्ड आवंटन किया जावे:– 1. श्री पुष्कर नारायण शर्मा 2. कुमारी संतोष शर्मा 3. श्री मनोहर सिंह 4. श्री रामजीलाल दीक्षित 5. श्रीमति प्रीति जैन

प्रा० उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				6. श्री धनश्याम गौतम 7. श्री प्रहलाद स्वामी 8. श्री बसन्त कुमार कानूनगो 9. श्री शांतिलाल सुथार 10. श्री महेन्द्र कुमार पारीक 11. श्रीमति दुर्गा सुखवाल 12. श्री प्रहलाद राय सैनी 13. श्री [illegible] 14. श्री मघाराम 15. श्री कमल किशोर चौटिया 16. श्री नवाब सिंह 17. श्री कालू खां।
19.	13ए	112:19	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम हरिरामपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 68/1 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा किस्म चरागाह में से 0.72 हैक्टेयर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम हरिरामपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं 68/1 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा किस्म चरागाह में से 0.72 हैक्टेयर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
20.	13ए	112:20	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 53 रकबा 82 बीघा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 53 रकबा 82 बीघा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
21.	13ए	112:21	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम बूडथल, तहसील बस्सी के खसरा नं. 497 रकबा 4. 30 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम बूडथल, तहसील बस्सी के खसरा नं. 497 रकबा 4.30 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
22.	13ए	112:22	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम बिराजपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 329/49 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम बिराजपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 329/49 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
23.	13ए	112:23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम रोहताशपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 127/112 रकबा 92.11 बीघा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम रोहताशपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 127/112 रकबा 92.11 बीघा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

24.	13ए	112:24	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री रामरतन शर्मा को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री रामरतन शर्मा को पीताम्बरा आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 200 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
25.	13ए	112:25	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री वक्ताराम परमार को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री वक्ताराम परमार को पीताम्बरा आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 200 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय के आदेशानुसार बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :-

26.	18	112:25(1)	पृथ्वीराज नगर योजना के इलेक्ट्रीसिटी के विकास हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन एवं अन्य गतिविधियों के लिए शिव विहार योजना ग्राम मांग्यावास में 1001.62 वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन-18 के प्रस्तावानुसार पृथ्वीराज नगर योजना में इलेक्ट्रीसिटी के विकास हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी सब स्टेशन एवं अन्य गतिविधियों के लिए शिव विहार योजना ग्राम मांग्यावास के सुविधा क्षेत्र में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-3 क्षेत्रफल 1001.62 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर 18000/- रूपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
27.	7	112:25(2)	गोविन्दपुरा करधनी योजना में आवंटित भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में अन्य भूखण्ड सं. ए-350, डी-111 एवं डी-237 देने बाबत।	गोविन्दपुरा करधनी योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए-350 श्रीमति संतोष देवी, डी-111 श्री मालचन्द जैन एवं डी-237 श्री नाथू सिंह मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में अन्य भूखण्ड संख्या ई-157, सी-155, एवं ए-395 अथवा ए-394 में से देने बाबत उपायुक्त जोन द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या डी-237 के स्थान पर ई-157, डी-111 के स्थान पर सी-155 एवं ए-350 के स्थान पर ए-395 या ए-394 प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी-237 के स्थान पर ई-157 समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित होने के कारण विनिमय का निर्णय लिया। भूखण्ड संख्या डी-111 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर 9 मीटर रोड पर स्थित था। समान चौडाई की सडक पर कोई भूखण्ड उपलब्ध न होने से भूखण्ड संख्या सी-155 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर 12 मीटर रोड को योजना की आवासीय आरक्षित दर + 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ली जाकर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार भूखण्ड संख्या ए-350 क्षेत्रफल 211.64 वर्गमीटर (12 मीटर रोड पर) के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए-395 या ए-394 क्षेत्रफल 264 वर्गगज (18 मीटर रोड पर) में से एक को अधिक क्षेत्रफल व बड़ी रोड होने से योजना की आवासीय आरक्षित दर + 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ली जाकर लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
28.	5	112:25(3)	श्री तुलसीराम प्रजापत पुत्र श्री नागरमल प्रजापत को व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 260, योजना न्यू आतिश मार्केट, जिसका नियमित क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज, मौके पर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि (स्ट्रीप	उपायुक्त जोन-5 द्वारा न्यू आतिश मार्केट में स्थित श्री तुलसीराम प्रजापत के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 260 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज का मौके पर क्षेत्रफल 21.66 वर्गगज बढ जाने से योजना की आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में योजना के भूखण्ड

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			ऑफ लैण्ड) क्षेत्रफल 21.66 वर्गगज आवंटन करने बाबत।	संख्या 240 से 244, 246 से 249, 251, 257, 259, 261 से 263, 265 से 275 कुल 31 भूखण्डों के पीछे उपलब्ध अतिरिक्त भूमि अन्य किसी उपयोग के लिए आरक्षित नहीं किया जाना बताकर भविष्य में भूखण्डधारियों के द्वारा अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पर उपरोक्त प्रक्रियानुसार आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। निदेशक (आयोजना) से इस संबंध में टिप्पणी प्राप्त की गई; जिसके अनुसार उक्त बढे हुये क्षेत्रफल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं होना बताया है। इस संबंध में दिनांक 30.05.07 को आयोजित पी.डब्ल्यू.सी की बैठक में मानचित्र संशोधन करने का अनुमोदन किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 260 में बढा हुआ क्षेत्रफल 21.66 वर्गगज को व्यावसायिक आरक्षित दर 22000/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 44000/- रू.प्र.व.मी. पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। शेष भूखण्डों के बाबत आवेदन प्राप्त होने पर उक्तानुसार ही कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
29.	12	112:25(4)	जन कल्याण संस्थान, जयपुर को भूमि आवंटन करने बाबत।	जन कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक शोध प्रतिष्ठान हेतु ग्राम दहमीकलां अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर 25000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उपायुक्त जोन-12 द्वारा ग्राम फतेहपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 171 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 172 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में सामाजिक सांस्कृतिक शोध प्रतिष्ठान हेतु भूमि आवंटन का मापदण्ड उल्लेखित नहीं है। अतः संस्थान को शौर्य नगर योजना की आवासीय आरक्षित दर 7000/- रूपये प्रति वर्गमीटर पर क्षेत्रफल निर्धारित करने व आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण है। अतः भू उपयोग उपांतरण भी अपेक्षित है।
30.	[illegible]	112:25(5)	श्रीमति गीता पंवार को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 53 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	श्रीमती गीता पंवार पत्नी श्री हरीश चन्द्र को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 53 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर 12 मीटर चौडी रोड पर आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड खसरा बाउन्ड्री में परिवर्तन के कारण आवेदिका का भूखण्ड संख्या डी-131 या डी-218 जो समान माप व समान चौडाई की रोड पर (नॉन कॉर्नर) स्थित है, में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
31.	5	112:25(6)	श्रीमती ममता कनौजिया पत्नी श्री अशोक कनौजिया को भूखण्ड संख्या ए-1ए नॉर्थ, राधा विहार में बढे हुये क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज को के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-5 द्वारा श्रीमती ममता कनौजिया पत्नी श्री अशोक कनौजिया को भूखण्ड संख्या ए-1ए नॉर्थ, राधा विहार क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज में बढे हुये क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवंटन करने का एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने उक्त भू-पट्टी का स्वतंत्र उपयोग न होना बताया है व उक्त भूमि किसी सडक/सुविधा क्षेत्र की भूमि का भाग न होना भी अंकित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढा हुआ

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				क्षेत्रफल योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
32.	12बी	112:25(7)	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाईजेशन को ग्राम नारी का बास में भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।
33.	11	112:25(8)	मैसर्स ओम श्याम बिल्डस्टेट प्रा. लि की निजी खातेदारी आवासीय योजना वृन्दावन सिटी–प्रथम ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर की सुविधा क्षेत्र की भूमि को क्लब हाउस प्रयोजन में आवंटन करने बाबत।	मैसर्स ओम श्याम बिल्डस्टेट प्रा. लि. के निदेशक श्री [illegible] चौधरी द्वारा निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना वृन्दावन सिटी–प्रथम के सुविधा क्षेत्र की 1232 वर्गगज भूमि क्लब हाउस हेतु आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–11 द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अन्तर्गत बीपीसी की 220वीं बैठक दिनांक 30.09.14 में उक्त सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज क्लब हाउस प्रयोजन हेतु निर्धारित हो जाने से आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर डवलपर को उक्त सुविधा क्षेत्र की भूमि क्लब हाउस प्रयोजन हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
34.	13ए	112:25(9)	एज्यूकेशन फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया समिति, जयपुर को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (सी.बी.एस.ई. सीनियर सैकण्डरी स्कूल व छात्रावास) भूमि आवंटन करने बाबत।	एज्यूकेशन फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया समिति, जयपुर को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 संस्थानिक योजना में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (सी.बी.एस.ई. सीनियर सैकण्डरी स्कूल व छात्रावास) 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा उक्त संस्थानिक योजना में भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 3626. 60 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 3103.82 वर्गमीटर उपलब्ध होना बताकर भूखण्ड संख्या 2 व 3 का पूनर्गठन व उपविभाजन कर व एक भूखण्ड 5000 वर्गमीटर के रूप में सृजित कर पी.डब्ल्यू.सी की बैठक में अनुमोदन पश्चात आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि तथा छात्रावास हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि अर्थात कुल 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकती है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को योजना की संस्थानिक आरक्षित दर 6750/–रूपये प्रति वर्गमीटर पर पी.डब्ल्यू.सी. में भूखण्ड सृजन की प्रत्याशा में 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव

एवं (एल.पी.सी.)

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 112वीं बैठक दिनांक 02.12.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व, पुनर्वास एवं पीआरएन)	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र विजय, कार्यवाहक अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0 एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री ओम प्रकाश जाँगिड़, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12बी	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
13.	श्री भंवर सिंह सांदू, उपायुक्त जोन–18	विशेष आमंत्रित
14.	श्री हरि सिंह गौड, तहसीलदार जोन–18	विशेष आमंत्रित
15.	श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित